न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील रसद प्रकरण संख्या 08/2020 (GCMS 2020/00192)

तिलक राज पुत्र प्यारे लाल जाति अरोड़ा आयु 56 वर्ष निवासी चूनावढ, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

23.05.2022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिह भनोत एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित है। उभयपक्ष की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह भनोत ने कथन किया कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान पोस मशीन–277 चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर का प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार है। उप तहसीलदार चूनावढ की रिपोर्ट के आधार पर राशन वितरण के संबध में अनियमितता का आरोप लगाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया जिस पर अपीलार्थी ने तथ्यों के साथ दिनांक 17.08.2020 को अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर दिया था। जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा उक्त स्पष्टीकरण को पर्याप्त नही मानते हुए अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 114/2003 अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.2020 के द्वारा निरस्त कर दिया गया।

उनका आगे यह भी कथन था कि अपीलाधीन आदेश में जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा विवेचना की गयी है कि अपीलार्थी के द्वारा दोहरे राशनकार्डो/मृतक कार्डधारियों को [illegible] क्विंटल गेहूं व 97.5 लीटर केरोसीन का वितरण नहीं किया गया है। **[illegible] इस संबध में किसी भी उपभोक्ता को स्वयं या उसका कोई संतुष्टि [illegible] पेश नही किया है [illegible] इस कारण प्राधिकार पत्र निरस्त कर वितरित सामग्री की राशि वसूल करने के आदेश पारित कर दिये गये।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन था कि अपीलार्थी के द्वारा जो स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया था उसकी कोई विवेचना जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश में नहीं की गयी है और ना ही किसी प्रकार की जांच की गयी है। अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार पोस मशीन के माध्यम से ही उपभोक्ताओं को राशन वितरित किया गया है। अपीलार्थी नें अपने जवाब में विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि पोस मशीन जांच से वितरण की गयी सामग्री की पुष्टि की जा सकती है परन्तु अपीलाधीन आदेश में जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा न तो पोस मशीन के वितरण के रिकार्ड़ की जांच की गयी है और ना ही उसके आधार पर वितरण की पुष्टि की गयी तथा एकतरफा ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया।

उनका आगे यह भी कथन था कि अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थी को दोहरे राशनकार्डों पर राशन वितरण का दोषी बताया गया है जबकि राशनकार्ड बनाने का दायित्व एवं अधिकार अपीलार्थी को नही है। अपीलार्थी का दायित्व यह है कि जो भी राशनकार्ड धारक राशन लेने के लिए उचित मूल्य दुकान पर आये उसे पोस मशीन के माध्यम से सत्यापन कर राशन उपलब्ध करवाये। दोहरे राशनकार्ड जारी करने के सम्बन्ध में संबंधित विभाग अथवा गलत तथ्य देकर राशनकार्ड बनवाने वाला उपभोक्ता ही दोषी हो सकते है। उनके गलत कृत्य के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराना न्याय के प्राकृतिक सिद्वांत के विरूद्व है।

उनका आगे यह भी कथन था कि अपीलाधीन आदेश में यह भी आरोप लगाया गया है कि राशनकार्ड [illegible] मृतक सदस्यों का राशन वितरण कर दिया गया। राशनकार्ड में अंकित [illegible] (यूनिट) में से यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो **उसका नाम [illegible]वाने का दायित्व प्रारंभिक तौर पर राशनकार्ड धारी का होता है एवं राशनकार्ड जारी करने वाले विभाग का होता है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और राशनकार्ड धारक या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा इस तथ्य को छुपाकर पोस मशीन में आधार कार्ड के आधार पर सत्यापन कर राशन उठा लिया जाता है तो उसकी जानकारी उचित मूल्य दुकानदार को नही हो सकती। इस दुरूपयोग के लिए राशनकार्ड का धारक उपभोक्ता ही उत्तरदायी एवं अभियोजन का पात्र हो सकता है। परन्तु जिला रसद अधिकारी द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में इस सारवान तथ्य की उपेक्षा की गयी है एवं अपीलार्थी को इसके लिए अनुचित रूप से दोषी ठहराया गया है।

उनका आगे यह भी कथन था कि अपीलार्थी द्वारा आरोप पत्र में लगाये गये आरोंपो का बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत किया गया था एवं दोहरे राशनकार्डो/मृतक सदस्यों को राशन वितरण के संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किया गया था। **अधिकांश प्रकरणों में उपभोक्ता अन्य उचित मूल्य की दुकान संजीव कुमार एफपीएस पर पंजीकृत है** तथा वहां से राशन उठा रहे है जिसका आरोप अपीलार्थी पर लगा दिया गया है। कई प्रकरणों में मृतक सदस्यों के परिवारजनों द्वारा ही स्वयं बायोमैट्रिक सत्यापन कर गेहूं/केरोसीन प्राप्त किया गया है जिनके संबध में अपीलार्थी ने अपने जवाब/स्पष्टीकरण में बिन्दुवार स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था जिसका विवेचन भी अपीलाधीन आदेश में नही किया गया है एव ना ही पोस मशीन के रिकार्ड की जांच की गयी है। केवल मात्र अपीलार्थी द्वारा अपने समर्थन में किसी उपभोक्ता को पेश नहीं करने या संतुष्टि पत्र पेश नहीं करने के आधार पर अपीलार्थी का स्पष्टीकरण पर्याप्त नही मानते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त करने के आदेश दिये गये है जबकि अपीलार्थी से नोटिस का स्पष्टीकरण चाहते समय किसी उपभोक्ता का संतुष्टि पत्र या उपभोक्ता को प्रस्तुत करने के आदेश नही दिये गये थे। अतः उपरोक्त आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:11 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन था कि नैसर्गिक न्याय का सिद्वान्त है कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण की बिन्दुवार जांच पोस मशीन के रिकार्ड से की जाती एवं जवाब में पेश किये गये तथ्यों का रिकार्ड के आधार पर विवेचन किया जाता एवं तथापि **यदि कोई आक्षेप निकलता तो उसके सम्बन्ध में उपभोक्ताओं का संतुष्टि पत्र मांगा जाता। परंतु जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा बिना अपीलार्थी के जवाब का परीक्षण किये आदेश पारित किये गये है** जो विधि अनुसार पोषनीय नही है।

उनका आगे यह भी कथन था कि अपीलार्थी के द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमय) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर के समय–समय पर जारी आदेशों की पूर्णतया पालना की गयी है। अपीलार्थी द्वारा **पोस मशीनों के माध्यम से बायोमैट्रिक सत्यापन के उपरांत ही राशन सामग्री का वितरण किया गया है किसी प्रकार की अनियमितता नही की गयी** है। फिर भी अपीलार्थी निर्दोष होते हुए भी राजनैतिक द्वेषतावश झूठी शिकायत पर लगभग 20 माह से प्राधिकार पत्र निरस्त रहने के कारण अकारण की सजा का पात्र बना हुआ है।

उनका आगे यह भी कथन था कि प्रार्थी द्वारा हमेशा से राशन सामग्री का वितरण उचित ढंग से किया जाता है आज तक जिला रसद कार्यालय में प्रार्थी के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही नहीं हुई है और **ना ही अपीलार्थी के वितरण के संबधं में ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की कोई शिकायत है। सभी ग्रामवासी अपीलार्थी के वितरण से संतुष्ट** है। इस प्रकरण में राजनैतिक द्वेषवाश अपीलार्थी को दबाव के कारण दोषी माना गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि का कथन था कि नायब तहसीलदार चूनावढ़ की रिपोर्ट **खानचन्द पुत्र सदुराम द्वारा बताया गया कि उसके परिवार के दो राश्नकार्ड बने हुए है व जिसका एक कार्ड में मृतक पत्नि का नाम दर्ज है।** जिसका कार्ड संख्या 006458600320 में छः सदस्य दर्ज है। इस कार्ड पर राशन मेरे द्वारा उठाया जा रहा है, लेकिन मेरे नाम से दूसरा राशन कार्ड जिसकी संख्या 00073 है इस राशन कार्ड से मेरे व मेरे **परिवार द्वारा राशन/केरोसिन कभी नही उठाया गया** परन्तु ऑनलाईन रिकार्ड में संजीव कुमार जयचन्द डीलर के मार्फत उठाया जाना दर्ज है_इस प्रकार राशनकार्ड–00073 पर 75 किग्रा गेहूं व 10.5 लीटर केरासीन का उठाव उचित मूल्य दुकानदार संजीव कुमार पुत्र जयचंद द्वारा किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन था कि नायब तहसीलदार चूनावढ की रिपोर्ट अमरजीत सिंह पुत्र कैलाश सिंह ने अपने ब्यानों में बताया कि उसके परिवार को कभी भी केरोसिन तेल नही मिला **जबकि ऑनलाईन रिकार्ड में दोनो राशन डिपों के मार्फत उठाया जाना दर्ज है। इस प्रकार** संजीव कुमार जयचंद द्वारा 75 लीटर केरोसीन का उठाव उचित मूल्य दुकानदार संजीव कुमार पुत्र जयचंद द्वारा किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन था कि नायब तहसीलदार चूनावढ की रिपोर्ट **जगदीश पुत्र ईश्वर ने अपने ब्यानो बताया कि माह अप्रैल 2020 का अतिरिक्त गेहूं मेरे** [illegible]**, लेकिन ऑनलाईन रिकार्ड में साहिबसिंहवाला डिपों** [illegible] **को कभी केरोसीन तेल नही मिला, लेकिन चू**[illegible] **के मार्फत केरासीन उठाया गया, जो कि ऑनलाईन रिकार्ड में दर्ज है व मेरे** पिता का राशन कार्ड अलग से बना हुआ है, जिसमें तीन सदस्य दर्ज है, मेरे **पिता की मृत्यु हो चुकी है। परिवार के दो**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सदस्यों का गेहूं डिपों होल्डर द्वारा दिया जाता है, परन्तु ऑनलाईन रिकार्ड में सर्वजीत सिंह–मक्खन सिंह साहिबसिंहवाला डिपों से उठाया जाना दर्ज है, लेकिन मेरे भाई **मंगतराम के राशनकार्ड पर माह अप्रैल 2020 में अतिरिक्त गेहूं ऑनलाईन रिकार्ड में सर्वजीत सिंह–मक्खन सिंह साहिबसिंहवाला डिपों से उठाया जाना दर्ज** है, लेकिन मे**रे भाई के परिवार को उक्त गेहूं नही मिला व मेरे भाई के परिवार को केरोसीन कभी नही मिला, लेकिन ऑनलाईन रिकार्ड में चूनावढ के डिपो से उठाया जाना दर्ज हैं। इस प्रकार उक्त प्रार्थीगण के 92.5 लीटर केरासीन तेल व 225 किग्रा गेहूं का उठाव उचति मूल्य दुकानदार तिलकराज पुत्र प्यारेलाल व** 47.5 लीटर केरोसीन तेल का उठाव उचित मूल्य दुकानदार संजीव कुमार जयचंद द्वारा किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन था कि नायब तहसीलदार चूनावढ की रिपोर्ट बलविन्द्र पुत्र बलदेव ने अपने ब्यानों में बताया कि मेरे परिवार द्वारा कभी भी केरोसीन नही लिया गया। लेकिन **चूनावढ के दोनो डिपूओ से मेरे राशन कार्ड पर केरोसीन उठाया जाना ऑनलाईन दर्ज है। इस प्रकार 2.5 लीटर केरोसीन तेल का उठाव तिलकराज पुत्र प्यारेलाल व 12.5 लीटर केरोसीन तेल** का उठाव उचित मूल्य दुकानदार संजीव कुमार जयचंद द्वारा किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन था कि नायब तहसीलदार चूनावढ की रिपोर्ट विकास वर्मा/रामेश्वरलाल द्वारा अपने ब्यानो में बताया गया कि **माह अप्रैल 2020 में अतिरिक्त गेंहू मेंरे द्वारा नही उठाया गया लेकिन ऑनलाईन रिकार्ड में उठाया जाना दर्ज है।** मेरे परिवार द्वारा कभी भी केरोसीन तेल नही लिया गया। परन्तु ऑनलाईन रिकार्ड में उठाया जाना दर्ज है। इस प्रकार के **2.5 लीटर केरोसीन तेल व 25 किग्रा गेहूं का उठाव तिलकराज पुत्र प्यारेलाल** व 2.5 लीटर केरोसनी तेल का उठाव संजीव कुमार जयचंद **द्वारा किया गया है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmahi Riar
Date: 2022.06.01 13:27:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन था कि नायब तहसीलदार चूनावढ की रिपोर्ट लाल सिंह पुत्र खैरातीलाल द्वारा अपने ब्यानों में बताया गया कि मेरी पत्नि **पूजा रानी की मृत्यु हो चूकी है व मृतक सदस्य का राशन मेरे परिवार को नहीं मिला लेकिन ऑनलाईन रिकार्ड में परिवार के मृतक सदस्य का राशन उठाया जाना दर्ज है परंन्तु मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नही होने के कारण गणना नही की जा सकी।**

उनका आगे यह भी कथन था कि नायब तहसीलदार चूनावढ की रिपोर्ट छिन्दो पत्नि नायम सिंह ने अपने ब्यानों में बताया कि उसके परिवार द्वारा कभी भी केरोसीन तेल नही लिया गया है। **लेकिन ऑनलाईन रिकार्ड में चूनावढ़ के दोनों डिपूओं के मार्फत केरोसीन उठाया जाना दर्ज है।** इस प्रकार 12.05 लीटर केरोसीन तेल का उठाव उचित मूल्य दुकानदार संजीव_कुमार जयचंद द्वारा किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन था कि नायब तहसीलदार चूनावढ की रिपोर्ट दर्शना देवी पत्नि प्रेमचन्द ने अपने ब्यानो में बताया कि मेरे दोनो पुत्र राजकीय सेवा में है, जिनका नाम कटवाने हेतु आवेदन किया हुआ है। इससे पूर्व मुझे तीनों सदस्यों के हिसाब से 15 किलो गेहूं मिलता था। पिछले कई माह से राशन नही उठाया गया परंतु इनकी और से सरकारी सेवा में चयन का प्रमाण पत्र या दस्तावेज पेश नही करने के कारण गणना नही की जा सकी।

उनका आगे यह भी कथन था कि नायब तहसीलदार चूनावढ की रिपोर्ट सुभाष पुत्र लालचन्द ने अपने ब्या[illegible]या कि मेरे पिता व भाई के नाम से **राशनकार्डो से कभी [illegible] गया, लेकिन चूनावढ स्थित दोनों डिपुओ के मार्फत केरोसीन तेल [illegible]ठाया जाना आनलाईन रिकार्ड दर्ज है।** इस प्रकार 72.5 लीटर केरोसीन तेल का उठाव उचित मूल्य दुकानदार संजीव कुमार जयचंद द्वारा किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन था कि नायब तहसीलदार चूनावढ की रिपोर्ट कालीचरन पुत्र गंगाराम ने अपने ब्यानों में बताया कि मेरी बेटी पल्लवी राजकीय सेवा में है जिसके सहित **मेरे परिवार में चार सदस्य व मेरे परिवार के तीन सदस्यों के हिसाब से गेंहू पूर्व में दिया जा रहा था,** लेकिन ऑनलाईन रिकार्ड में पल्लवी सहित चारों सदस्यों के नाम से गेहूं उठाया जा रहा **है।** इनकी ओर से सरकारी सेवा में चयन का प्रमाण पत्र या दस्तावेज पेश नही करने के कारण गणना नही की जा सकी।

उनका आगे यह भी कथन था कि नायब तहसीलदार चूनावढ़ की रिपोर्ट चूनावढ स्थित **दोनो डिपूओ द्वारा केरासीन तेल का वितरण ज्यादातर पात्र उपभोक्ताओं को नही किया जाता है, जबकि ऑनलाईन रिकार्ड में वितरण दर्ज है, जो कि अमरजीत, जगदीश, बलविन्द्र, विकास, छिन्दो व सुभाष के ब्यानों से स्पष्ट होता है।**

उनका आगे यह भी कथन था कि नायब तहसीलदार चूनावढ की रिपोर्ट चूनावढ स्थित **दोनो डिपूओ से मृत व्यक्तिओं के हिस्से का राशन माह मई 2020 तक उठाया जाना ऑनलाईन रिकार्ड में दर्ज** है, जो कि प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है व दानो डिपू होल्डरों के द्वारा बताया गया कि मृतक सदस्यों का राशन माह मई तक उठा है, लेकिन वर्तमान में मृतक सदस्यों का नाम ऑनलाईन रिकार्ड से हटवा लिया गया है।

उनका आगे यह भी कथन था कि नायब तहसीलदार चूनावढ़ की रिपोर्ट खानचन्द व लालसिंह ने ब[illegible]ताया कि उनके परिवार के **मृतक सदस्य के हिस्से का राशन [illegible] ऑनलाईन रिकार्ड में उठाया जाना दर्ज है** व इसी प्रकार जगदीश [illegible] अपने ब्यानों में बताया कि उसके पिता ईसरराम के **राशन कार्ड से मृतक सदस्यों ईसरराम के हिस्से का राशन उसके परिवार को नही मिला, लेकिन ऑनलाईन रिकार्ड में उठाया जाना दर्ज है।** प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

दस्तावेज जायाराम पुत्र साथीराम के राशन कार्ड में दर्ज चारों सदस्यों का नही होना बताया गया है, लेकिन ऑनलाईन रिकार्ड के अनुसार राशन उठाया जाना दर्ज है व जाने का ऑनलाईन रिकार्ड पेश किया गया।

उनका आगे यह भी कथन था कि नायब तहसीलदार चूनावढ की रिपोर्ट कोविड–19 के कारण **अप्रैल मई 2020 माह का अतिरिक्त गेंहू दिया जा ऑनलाईन रिकार्ड में दर्ज है, लेकिन जगदीश पुत्र ईसरराम व विकास वर्मा ने अपने ब्यानो में बताया कि उनके परिवारो को माह अप्रैल 2020 का अतिरिक्त गेंहू नही मिला है, लेकिन ऑनलाईन रिकार्ड में उठाया जाना दर्ज है**

उनका आगे यह भी कथन था कि कार्यालय द्वारा प्रकरण 155/2020 में सुनवाई की कार्यवाही पूर्ण की गयी। प्रकरण में प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार प्रस्तुत जवाब नोटिस के तथ्य संतोषजनक नही पाये जाने के कारण कार्यालय के आदेशांक 10323 दिनांक 25.08 2020 द्वारा प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार, श्री तिलकराज पुत्र प्यारेलाल (पोस–2272) ग्राम पचांयत चूनावढ़, तहसील श्रीगंगानगर का प्राधिकृत पत्र संख्या 144/2003 निक्षेप प्रतिभूति राशि का समपहरण करने हुये निरस्त किया गया व 2.50 क्विं0 गेहूं व 97.5 लीटर केरोसीन पेटे राशि रू. 9383 जमा करवाने हेतु आदेशित किया गया। राशन डीलर द्वारा कार्यालय निर्णय की पालना में राशि श्रीगंगानगर में जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेशांक 10323 दिनांक 25.08.2020 के विरूद्व हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी है।

उनका आगे यह भी कथन था कि उप–तहसीलदार, चूनावढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व बयान ... उचित मूल्य दुकानदार, श्री तिलकराज पुत्र प्यारेलाल (पोस–2272) ग्राम पंचायत चूनावढ, तहसील श्रीगंगानगर ने 2.50 क्विं. गेहूं व 97.5 लीटर केरोसीन का गलत/अपात्रों को वितरण करने का कृत्य किया जो कि Ec Act, 1955 की धारा 3 द्वारा जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2015 की धारा 10 के उपबिन्दु 1 व उपबिन्दु 4(1) व राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुऐं (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6 व इस आदेश के तहत डीलर को जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 15 व 17 (ख) (ग) का स्पष्ट उल्लघन्न करना पाया ।

मैनें, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उचित मूल्य दुकानदार तिलकराज पुत्र प्यारेलाल द्वारा **सर्वजीत सिंह–मक्खन सिह** द्वारा 92.5 लीटर केरोसीन एवं 225 किग्रा गेहूं, बलविन्द्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह द्वारा 2. 5 लीटर केरोसीन उनके द्वारा नहीं उठाया गया है परन्तु ऑनलाईन रिकॉर्ड में उनके द्वारा केरोसीन एवं गेहूं लिया जाना दर्ज है। इसीप्रकार लाल सिंह पुत्र खैरातीलाल **की पत्नी की मृत्यु के बाद मृतक सदस्य के नाम से राशन उठाया जा रहा है,** सुभाष पुत्र लालचन्द्र द्वारा **केरोसीन नहीं लिया गया परन्तु ऑनलाईन में केरोसीन उठाया जाना दर्ज** है। इसीप्रकार खानचन्द व लालसिंह द्वारा **मृतक सदस्यों का राशन उनके द्वारा नहीं उठाया गया** है जबकि ऑनलाईन में उनके द्वारा उठाया जाना दर्ज है। **कोविड 19 के दौरान अप्रैल–मई 2020 का अतिरिक्त गेहूं दिया जाना ऑनलाईन में दर्ज है किन्तु जगदीश पुत्र ईसराराम एवं विकाश शर्मा को अतिरिक्त गेहूं नहीं मिला** है।

अप्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि सभी ग्रामवासी उसके वितरण से संतुष्ट है किसी के द्वारा उसकी कोई शिकायत नहीं की गई है जबकि **अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 20.05.2020 का उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध कार्यवाही करने [illegible] कुमार वगै. (समस्त ग्रामवासी) का प्रार्थना पत्र संलग्न है [illegible] सिंह वगैरहा का उचित मूल्य दुकानदान के [illegible] करवाने का प्रार्थना पत्र संलग्न** है। इसीप्रकार खानचन्द, अमरजीत सिंह, जगदीश कुमार के बयानों क प्रतिया भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है जिससे उनके द्वारा राशन नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उठाने का उल्लेख किया है और **ऑनलाईन रिकॉर्ड में उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा उनके नाम से राशन उठाया जाना दर्ज** है। अधीनस्थ न्यायलाय की पत्रावली में ऑनलाईन रिकॉर्ड की प्रतिया भी उपलब्ध है जिसमें उनके द्वारा **एक ही व्यक्ति के नाम से दो बार राशन उठाया जाना एवं मृतक व्यक्ति के नाम से राशन उठाया जाना अंकित किया है।** इसलिए प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार, श्री तिलकराज पुत्र प्यारेलाल (पोस–2272) ग्राम पंचायत चूनावढ, तहसील श्रीगंगानगर द्वारा गलत/अपात्रों को वितरण करने का कृत्य किया जाना साबित होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है और जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 25.08.2020 बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रति मय उनके न्यायालय का मूल रिकॉर्ड जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाया जावें। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:11 IST
Reason: SelfAttested